बौद्धिक संपदा
भारत
एकस्व/अभिकल्प/व्यापार चिह्न/भौगोलिक उपदर्शन/आर जी एन आई आई पी एम

INTELLECTUAL PROPERTY
INDIA
Patents/Designs/Trade Marks
Geographical Indications/RGNIIPM

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय महानियंत्रक एकस्व अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न
Office of The Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

बौद्धिक संपदा भवन
BOUDDHIK SAMPADA BHAWAN
एस एम रोड ,एन्टॉप हिल ,
S. M. Road, Antop Hill,
मुंबई/Mumbai – 400 037, भारत/India.
दूरभाष/Tel : (91) (22) 24132393
: (91) (22) 24123311
फैक्स /Fax : (91) (22) 24123322
(91) (22) 24172288
ई-मेल/E-Mail: cgpdtm@nic.in
cgoffice-mh@nic.in
वेबसाइट /Website: www.ipindia.nic.in
: www.ipindia.gov.in

संख्या/**No. : F/TP/TMR/2019/106** . दिनांक/Date: **: 03.09.2020** .

कार्यालय ज्ञापन

विषय : व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और भौगोलिक उपदर्शन में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति

विगत कुछ समय से व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और भौगोलिक उपदर्शन के समूह 'क' और 'ख'अधिकारियों के संदर्भ में स्थानांतरण नीति बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और भौगोलिक उपदर्शन के समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए एक निष्पक्ष , पारदर्शी और न्यायोचित नीति बनाने के उद्देश्य से इन दिशानिर्देशों को सूत्रबद्ध किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधनों का संपूर्ण संगठनात्मक लक्ष्य के साथ तालमेल बैठने के साथ-साथ अधिकारियों का प्रभावी करियर प्रबंधन सुनिश्चित करना।

2. नियोजन समिति का गठन

2.1 समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन नियोजन समिति की अनुशंसा के आधार पर होगी जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:

स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विचाराधीन अधिकारियों का लेवेल	नियोजन समिति का गठन	अनुमोदन प्राधिकारी
सभी समूह 'क' और 'ख' अधिकारी	1. निदेशक, महानियंत्रक कार्यालय 2. वरिष्ठतम संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और भौगोलिक उपदर्शन 3. उप सचिव, महानियंत्रक कार्यालय / उप पंजीकार, महानियंत्रक द्वारा मनोनीत	महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न

2.2 नियोजन समिति की अनुशंसा अनुमोदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

2.3 वरिष्ठतम वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और भौगोलिक उपदर्शन के स्थानांतरण और पदस्थापन का निर्णय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न द्वारा लिया जाएगा।

3. स्थानांतरण का प्रकार

3.1 स्थानांतरण के निम्न प्रकार के संदर्भ नियोजन समिति के समक्ष राके जाएंगे –

3.1.1 वार्षिक आवर्तनशील स्थानांतरण जिसे स्थानिक कार्यावधि पूर्ण होने के बाद लागू किया जाएगा।

3.1.2 सेवा की आकस्मिकता में स्थानांतरण जिसे पद की विशिष्ट आवश्यकता या वांछित विशेषज्ञता पूरा करने अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से किया जा सकता है।

3.1.3 अनुरोध स्थानांतरण, जिसे अधिकारी विशेष के अनुरोध पर विचार करते हुए किया जा सकता है, जबकि प्रशासनिक साध्यता हो।

4. स्थानिक कार्यावधि :

4.1 सामान्य स्थानिक कार्यावधि 5 वर्षों की होगी।

4.2 पद की न्यूनतम अवधि 2 वर्षों की होगी। हालांकि, न्यूनतम कार्यावधि पूरा होने के पहले भी प्रशासनिक आधार पर और आकस्मिकता के मामले में स्थानांतरण किया जा सकता है।

4.3 स्थानिक कार्यावधि की गणना करते समय पूर्ववर्ती श्रेणी और एक श्रेणी नीचे में किए गए कार्यों पर विचार किया जाएगा। प्रति वर्ष 30 दिनों से अधिक की अवधि की छुट्टी/प्रशिक्षण को स्थानिक कार्यावधि की गणना से बाहर रखा जाएगा।

4.4 स्थानिक पदस्थापन से बाहर दो वर्ष से अधिक पदस्थापन अवधि को स्थानिक कार्यावधि में विराम माना जाएगा। हालांकि, जब वह अवधि दो वर्ष से कम होगी तब उस विराम के पहले और बाद की कुल अवधि (स्थान से बाहर व्यतीत अवधि को छोड़कर) को स्थानिक कार्यावधि में गिना जाएगा। साथ ही, इस उद्देश्य के लिए दो वर्ष की अवधि की गणना प्रति वर्ष 30 दिनों से अधिक की छुट्टी / प्रशिक्षण आदि की अवधि को हटाकर की जाएगी।

5. स्थानांतरण सिद्धांत :

5.1 आवर्तनशील स्थानांतरण

5.1.1 एक वर्ष में प्रभावी होने वाले सभी आवर्तनशील स्थानांतरण पर समान्यतया उस वर्ष मार्च महीने के पहले सप्ताह में विचार किया जाएगा, ताकि उसी वर्ष मार्च महीने के अंत तक स्थानातरण आदेश जारी किए जा सके।

5.1.2 आवर्तनशील स्थानांतरण के मामले में किसी पद/स्थान पर पदस्थापन की अवधि की गणना उस वर्ष के 31 मार्च तक की जाएगी।

5.1.3 उन अधिकारियों का स्थानांतरण समान्यतया नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता प्राप्त करने में दो वर्ष बाकी है और वे पहले ही अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थापित हैं।

5.1.4 आवर्तनशील स्थानांतरण के लिए अधिकारियों के स्थानिक पदस्थापन की अवधि पर अवरोही क्रम में विचार किया जाएगा।

5.1.5 कार्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक वर्ष में कुल कार्यकारी क्षमता के 1/3 संख्या से अधिक अधिकारियों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.2 अन्य स्थानांतरण :

5.2.1 किसी अधिकारी का अनुरोध स्थानांतरण उसके स्वयं की लागत पर होगा।

5.2.2 समान्यतया, अनुरोध स्थानांतरण पर वर्ष में एक बार विचार किया जाएगा। हालांकि, सेवा की आकस्मिकता और प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

6. सामान्य सिद्धांत :

6.1 अभ्यावेदन, यदि कोई हो, स्थानांतरण / पदस्थापन आदेशों को अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी (सीजीपीओटीएम) को संबोधित किया जाएगा। किसी आदेश के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन ऐसा आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यावेदन के प्रत्येक मामले पर उपयुक्त बोर्ड की अनुशंसा के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार और 30 कार्य दिवसों के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा।

6.2. यह प्रयास किया जाएगा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश का अनुसरण किया जाय। इसी प्रकार, शारीरिक रूप से विकलांग अधिकारियों और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों वाले अधिकारियों के संदर्भ में भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश का भी विधिवत पालन किया जाएगा।

6.3 जहाँ तक संभव हो, और प्रशासनिक आकस्मिकताओं के अध्यधीन, स्थानांतरण और पदस्थापन इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक अधिकारी को संगठन के सभी कार्यालयों की सेवा करने का समान अवसर प्राप्त हो।

6.4 किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण निर्धारित स्थानिक कार्यावधि पूरा होने से पहले सार्वजनिक हित में किया जा सकता है लेकिन ऐसा करने के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

6.5 उन अधिकारियों का स्थानांतरण समान्यतया नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता प्राप्त करने में दो वर्ष बाकी है और वे पहले ही अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थापित हैं। साथ ही दो वर्ष के भीतर अधिवर्षिता की आयु तक पहुँचने वाले अधिकारियों का अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थापन के अनुरोध को प्रशासनिक व्यवहार्यता के अधीन वरीयता दी गई।

6.7 जिस अधिकारी के विरुद्ध बड़ी शास्ति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, उनका पदस्थापन वांछित स्थान के (संवेदनशील पदों पर)नहीं हो सकता है।

6.8 ऐसे मामले में जहां अधिकारी उचित माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से स्थानांतरण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध सीसीएस (आचरण) नियमों के खंड 20 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस नियम में यह परिकल्पना की गई है कि *"कोई सरकारी सेवक अपने वरीय अधिकारी पर सरकार के अधीन अपनी सेवा संबंधी मामले के संदर्भ में अपनी हित प्राप्ति के लिए कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास नहीं करेगा।"*

6.9 परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानांतरण पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

6.10 प्रशासन / नीति निर्धारण / अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को संभालने वाले अधिकारी, जैसा कि सीजीपीडीटीएम द्वारा अधिसूचित किया गया है, को कार्य - हित में आवर्तनशील स्थानांतरण से छूट दी जा सकती है।

यह सीजीपीडीटीएम के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पूनम सिह)
निदेशक